



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225022  
CG-DL-E-09022021-225022

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]  
No. 62]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

सं. एन-12/13/1/2019-यो.एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने संख्या एन-12/13/1/2016-यो. एवं वि., दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से दिनांक 15.02.2019 को भारत का राजपत्र, असाधारण भाग III धारा 4 में क्रम संख्या 67 पर प्रकाशित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक राहत को अधिसूचित किया। आगे दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान राहत की दर में वृद्धि तथा पात्रता शर्तों में शिथिलता के साथ दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए इस राहत का विस्तार किया गया जो एन-12/13/1/2019-यो.एवं वि., दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से दिनांक 16.10.2020 को भारत का राजपत्र, असाधारण भाग III धारा 4 में क्रम संख्या 436 पर प्रकाशित की गई। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत राहत हेतु शपथ-पत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त में भी शिथिलता प्रदान की गई तथा एन-12/13/1/2019-यो.एवं वि., दिनांक 04.01.2021 के माध्यम से भारत का राजपत्र, असाधारण भाग III धारा 4 में दिनांक 11.01.2021 को प्रकाशित की गई।

अतः यह निर्णय किया गया है कि भारत का राजपत्र असाधारण भाग III धारा 4, दिनांक 14.10.2020 में क्रम संख्या 436 पर दिनांक 16.10.2020 को यथा अधिसूचित वही निबंधन और शर्तें तथा भारत का राजपत्र असाधारण भाग III धारा 4, दिनांक 04.01.2021 में दिनांक 11.01.2021 को यथा अधिसूचित शर्तों में शिथिलता के साथ दिनांक

01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता शर्तों में राहत का विस्तार किया जाए।

आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हों, तो श्री एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली 110002 (ई-मेल आईडी : dir-pnd@esic.nic.in) को संबोधित किए जाएं। अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त आपत्ति या सुझाव अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जाएगा।

[एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (योववि)]

[विज्ञापन-III/4/Exty./496/2020-21]

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

### DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2021

**No. N-12/13/01/2019-P&D.**—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation had notified a relief namely Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana published on 15.02.2019 in the Gazette of India, EXTRAORDINARY Part III Section 4 at Sl. No 67 *vide* No. N-12/13/1/2016-P&D dated 04.02.2019. Further the relief was extended for the period from 01.07.2020 to 30.06.2021 along with enhancement of rate of relief and relaxation in the eligibility conditions during the period from 24.03.2020 to 31.12.2020 published on 16.10.2020 in the Gazette of India, EXTRAORDINARY Part III Section 4 at Sl. No. 436 *vide* N-12/13/1/2019-P&D dated 14.10.2020. The condition of submitting claim for relief under Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana in affidavit form was also relaxed and notified in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 *vide* N-12/13/1/2019-P&D dated 04.01.2021 published on 11.01.2021.

Now it has been decided to extend relaxation in eligibility conditions in the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for period 01.01.2021 to 30.06.2021 with the same terms and conditions as notified on 16.10.2020 in the Gazette of India EXTRAORDINARY Part III Section 4 Sl. No. 436 dated 14.10.2020 and with the relaxation in the conditions as notified on 11.01.2021 in Gazette of India EXTRAORDINARY Part III Section 4 dated 04.01.2021.

The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S. Biswas, Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi 110002 (e-mail Id: dir-pnd@esic.nic.in). Objections or suggestions, received from any person or organization in respect of notification within a period of thirty (30) days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation.

[S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)]

[ADVT-III/4/Exty./496/2020-21]